


90



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र.क्र निगरानी

12017

R 1017-I-17

अभिषेक निगम, पुत्र-श्री तेज निगम
उम- वर्ष ,व्यवसाय - कृषि
निवासी- लवकुश नगर
तहसील लवकुश नगर जिला
छतरपुर म.प्र

श्री. सुशीला देवी, पत्नी राजीव
द्वारा आज दि. 20-10-2017 को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती सुशीला देवी, पत्नी राजीव
कुमार शर्मा, निवासी बपेरू जिला बांदा
उ.प्र

श्रीमती सुशीला देवी
पत्नी राजीव

अनावेदिका

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.10.2010
जिसे न्यायालय तहसीलदार लवकुश नगर के प्रकरण क्रमांक 54/अ-5/2009-2010
में पारित किया गया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

1. यह कि, प्रकरण के संज्ञिप्त तथ्य इस प्रकार है अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि सीमांकन किचा जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरक्षक लोड़ी से सीमांकन व तरमीम प्रस्ताव प्राप्त तदनुसार इस्तिहार जारी किया। कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं है। रा0 नि0 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन तरमीम प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तदनुसार सरहदी कृषको को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 25-06-10 को आवेदित भूमि

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1017-एक/2017

जिला छतरपुर

अभिषेक विरूद्ध सुशीला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित ।3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 54/अ-5/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>lyw: 31.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य</p>